कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर, स्थित ढली शिमला–171012 के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2014 से 31.03.2015

भाग–एक

1 **प्रारम्भिक :–**

(क) कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर, स्थित ढली शिमला–12 के अवधि 01.04.14 से 31.03.15 के लेखाओं का अंकेक्षण, हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 48(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्या 1–487/99–फिन(एल0ए0)खण्ड–1–554, दिनांक 20.01.2000 की अनुपालना में स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा पूर्वांकेक्षण के आधार पर किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान मण्डी समिति के शिमला कार्यालय में निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत रहेः–

क्रम सं0	पदाधिकारी का नाम व पदनाम	कार्यालय का नाम	अवधि
1.	श्री महिन्द्र स्तान, अध्यक्ष	कृषि उपज मण्डी समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला–12	1.4.14 से 31.3.15
2.	श्री बी0आर0 गर्ग, सचिव	कृषि उपज मण्डी समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला–12	1.4.14 से 31.3.15

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर, स्थित ढली शिमला–12 के अवधि 01.04.14 से 31.03.15 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	विवरण	पैरा सं0	₹(लाखों में)
1	अग्रिम राशि का समायोजन न करना	6 (ख)	9.31
2	दुकानों के किराए के रूप में राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	7	35.06
3	विभिन्न लाईसैन्सधारी व्यापारियों से देय मण्डी शुल्क से कम वसूली किए जाने के फलस्वरूप मण्डी समिति को सम्भावित हानि	10	0.82
4	नाका, चौकी शोघी, नेरीपुल, वानीपुल तथा कुडडू में गैर लाईसैन्स धारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की कम वसूली के कारण मण्डी समिति को सम्भावित हानि	13	11.43
5	मण्डी समिति की सावधि मे जमा राशियों को परिपक्वता पर पुनः निवेश हेतु विलम्ब से स्थानान्तरित करने पर कम अतिशोध्य ब्याज के रूप में हुई हानि	15	0.14
6	सावधि जमा राशियों का सावधि जमा रजिस्टर में ईन्द्राज न करना	16	100.5
7	निक्षेप कार्यों हेतु जमा करवाई गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	17	18.30
8	लाईसैन्सधारियों द्वारा व्यापार शून्य दर्शाना	8	विवरण पैरे में दिया गया है
9	मण्डी शुल्क की वसूली न करने के कारण मण्डी समिति को आय की हानि के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त योग्य ब्याज के रूप में भी हानि होना	9	विवरण पैरे में दिया गया है
10	विभिन्न व्यापारियों द्वारा कई–कई महीनों की मण्डी शुल्क एक साथ जमा करने के फलस्वरूप मण्डी समिति को ब्याज के रूप में लाखों रूपये की सम्भावित हानि	11	विवरण पैरे में दिया गया है
11	विभिन्न व्यापरियों से मण्डी शुल्क देय तिथि पर वसूलने की अपेक्षा अत्यन्त विलम्ब से वसूलने के कारण मण्डी	12	विवरण पैरे में दिया गया है

	समिति को ब्याज के रूप में लाखों रूपयों की सम्भावित हानि		
12	मण्डी समिति द्वारा विभिन्न बचत खातों में अत्याधिक राशि रखने के परिणामस्वरूप मण्डी समिति को प्राप्त योग्य ब्याज की सम्भावित हानि	17	विवरण पैरे में दिया गया है

(ग) आय व व्यय के स्त्रोत के बारे में:—

(i) मण्डी समिति की आय के मुख्य स्त्रोत निम्न प्रकार से है :—

(1) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 44 व हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम, 2006 के नियम 35 के अन्तर्गत मण्डी समिति के लाईसैन्सधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क तथा धारा 75 के अन्तर्गत गैर लाईसैन्सधारी व्यापारियों से जुर्माना शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

(2) मण्डी समिति द्वारा निर्मित दुकानों, गोदामों, विश्राम गृहों तथा भवनों से किराए के रूप में प्राप्त आय तथा मण्डी समिति द्वारा स्थापित धर्मकांटे पर तुलाई शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

(3) मण्डी समिति के विभिन्न फार्मों के विक्रय से प्राप्त आय।

(4) मण्डी समिति द्वारा विभिन्न बैंकों में सावधि जमा योजना तथा बचत खातों में निवेश की गई राशियों पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय।

(5) मण्डी समिति, ढली एवम फल मण्डी भटठाकुफर के मुख्य द्वार के प्रवेश पर ट्रकों व अन्य वाहनों से प्रवेश शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

(6) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एंव विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 40(3) के अर्न्तगत कृषि उपज से जुड़े व्यापारियों से पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

(7) अन्य आय।

(ii) मण्डी समिति द्वारा सामान्यतः निम्नलिखित मदों पर व्यय किया जाता है:—

(1) मानदेय, वेतन, मजदूरी तथा अन्य विभिन्न भत्तों पर व्यय तथा कार्यालय व्यय।

(2) कार्यालय मशीनरी व उनकी मुरम्मत इत्यादि पर व्यय।

(3) मण्डी समिति के वाहन के पैट्रोल व मुरम्मत इत्यादि पर व्यय।

(4) निक्षेप कार्य के विरूद्ध करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों व रज्जू मार्ग के निर्माण में संलिप्त व्यय।

(5) कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों पर व्यय।

(6) हिमाचल प्रदेश सरकार को अंकेक्षण सुविधाऐं उपलब्ध करवाने के एवज़ में देय अंकेक्षण शुल्क से सम्बन्धित व्यय।

(7) कर्मचारियों को प्रशिक्षण, अन्य प्रशिक्षण शिविरों व विज्ञापनों पर व्यय।

(8) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 49(3) के अर्न्तगत कृषि उपज मण्डी समिति के अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत एकत्रित मण्डी शुल्क का 25 प्रतिशत भाग हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि उपज विपणन बोर्ड को देने में सलिप्त व्यय।

(9) कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा यात्रा/दैनिक भत्ते आदि पर व्यय।

(10) अन्य व्यय।

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

कृषि उपज मण्डी समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला–12 के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों/अधियाचनाओं का सार Appendix-I के भाग 1 व 2 में दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

(क) कृषि उपज समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला–12 के अवधि 01.04.2014 से 31.03.2015 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण श्री हरदेव सिंह शांडिल, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) तथा श्री श्रवण कुमार, लेखा परीक्षक द्वारा पूर्वांकेक्षण प्रणाली के आधार पर कृषि उपज मण्डी समिति के ढली स्थित मुख्यालय में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाए गए हैं।

(ख) मण्डी समिति शिमला एवं किन्नौर ढली, शिमला–12 द्वारा निम्नलिखित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(1) उप मण्डी नेरवा में वर्ष 2005–06 में आबंटित की गई दुकानों की प्राप्त प्रतिभूति राशि का रजिस्टर ।

(2) चल एवं अचल सम्पति रजिस्टर।

(3) ब्याज खाता रजिस्टर।

(4) प्रगतिशील कार्य रजिस्टर।

(5) मण्डी समिति की वर्ष 2014–15 की वित्तीय स्थिति ।

(6) माहवार समस्त बैकों की बैंक समाधान विवरणिकाएें।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

वर्ष 2014–15 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹1630440 आंका गया तथा अंकेक्षण शुल्क की राशि उक्त को कृषि उपज मण्डी समिति कार्यालय ढली शिमला–12 से प्राप्त करके स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–09 द्वारा चालान संख्या 18 दिनांक 12.1.2016 के माध्यम से सरकारी कोष में जमा करवा दिया गया।

4 वार्षिक लेखों वर्ष 2014–15 वितीय स्थिति तथा सावधिक जमा योजना में निवेशित राशियों के बारे में:–

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा वर्ष 2014–15 के वार्षिक लेखे मै0 डी0 वी0 चावला एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाऊंटैंट से तैयार करवाए गए हैं तथा उक्त लेखों की सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति शिमला व किन्नौर द्वारा जारी प्रति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ यथा **Appendix-II** पर संलग्न है। इन लेखों की अंकेक्षण द्वारा विधिवत संविक्षा के उपरान्त पाया गया कि चार्टड अकाऊॅटैंट द्वारा तैयार किए गए लेखों की अधिकतर मदों में दिनांक 31.03.2015 के शेषों के आंकड़ों में कार्यालय अभिलेख अनुसार भिन्नताएं पाई गई हैं। चार्टर्ड अकाऊटैंट से आंकड़ों में भिन्नताओं के संशोधनोपरान्त वार्षिक लेखे अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं। मण्डी समिति के वर्ष 2014–15 के वार्षिक लेखों तुलन–पत्र तथा आय–व्यय खातों पर अंकेक्षण की मदवार विविक्षा टिप्पाणियाँ निम्नलिखित है, जिसका विवरण **Appendix-II (A)** में दिया गया है।

(क) सामान्य निधिः– कृषि उपज मण्डी समिति शिमला एवं किन्नौर कार्यालय द्वारा प्रारम्भ से ही आय के सन्दर्भ में कोई भी वर्गीकृत खाता बही तैयार नहीं किए गए है, जिसका वर्णन विगत वर्षों के वार्षिक लेखों की विविक्षा टिप्पणियों में भी किया गया है। चार्टर्ड अकाऊटैन्ट द्वारा वर्ष 2014–15 के तुलन पत्र में ₹615920726.72 का प्रारम्भिक शेष दर्शाया गया है। जबकि अंकेक्षण द्वारा वर्ष 2013–2014 के तुलन पत्र की विविक्षा करने के उपरान्त ₹613663761.24 का प्रारम्भिक शेष दर्शाया था। इस प्रकार चार्टर्ड अकाऊटैन्ट द्वारा तुलन पत्र में प्रारम्भिक शेष ₹1956965.48 अधिक दर्शाया है, जोकि सही नहीं है। मण्डी समिति कार्यालय में आय से सम्बन्धित वर्गीकृत खाता बही उपलब्ध न होने के कारण इस सन्दर्भ में

कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र में आय का व्यय पर आधिक्य (surplus) ₹114090750.74 दर्शाया गया है, जबकि वास्तव में आय का व्यय पर आधिक्य ₹127854069.49 बनता है, जिससे उक्त मद ₹13763318.75 से कम दर्शाई गई है। इस प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चार्टर्ड अकाऊटैन्ट द्वारा तैयार किए गए आय व व्यय खाता में आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त तथा आय व व्यय खाता में दर्शाए गए घिसावट व्यय व अपलिखित अनुदान राशि (Grant –in-aid write off) को यथा मानते हुए वर्ष 2014–15 का आय का व्यय पर आधिक्य ₹127854069.49 ही बनता है क्योंकि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा प्रारम्भ से ही चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर तैयार नहीं किए गए है। जिस कारण आय व व्यय खाता में दर्शाए गए घिसावट व्यय का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आय व व्यय खाता में सभी मद संशोधन उपरोक्त कार्यालय अभिलेख के अनुसार सही है। मण्डी समिति कार्यालय द्वारा वर्ष 2014–15 की वित्तीय स्थिति भी तैयार करके अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ख) हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को देय मण्डी शुल्क का 25% हिस्साः–

चार्टर्ड अकाऊटैन्ट द्वारा तुलनपत्र के दायित्व पक्ष में हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को देय मण्डी शुल्क का 25**%** हिस्सा ₹35093013.50 दर्शाया गया है जबकि कार्यालय अभिलेख के अनुसार ₹37255692.75 बनता है। इस प्रकार चार्टर्ड एकाउटैन्ट द्वारा उक्त मद ₹2162679.25 कम दर्शाई गई है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ग) दुकानों की प्रतिभूति राशिः–

तुलन पत्र में दर्शाई गई दुकानों की प्रतिभूति ₹2605985 मण्डी समिति कार्यालय अभिलेख के अनुसार सही नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2013–14 की समाप्ति तक यह ₹2457506 थी। वर्ष 2014–15 में प्रतिभूति ₹104200 प्राप्त की गई है। इस प्रकार कार्यालय अभिलेख के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 की समाप्ति तक मण्डी समिति के पास दुकानों की प्रतिभूति ₹2561706 बनती है। जबकि चार्टर्ड अकाऊटैन्ट द्वारा तुलन पत्र में यह ₹44279 से अधिक दर्शाई गई है। वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में प्रतिभूति (अन्य) ₹46079 दर्शाई गई थी जिसका सत्यापन अंकेक्षण द्वारा अभिलेख के अभाव में नहीं किया जा सका था। अब वर्ष 2014–15 में उक्त प्रतिभूति की कोई भी राशि नहीं लौटाई गई है। चार्टर्ड अकाऊटैन्ट द्वारा वर्ष 2014–15 के तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में प्रतिभूति (अन्य) ₹46079 को नहीं दर्शाया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(घ) प्रतिभूति (अन्य):–

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा इस मद से सम्बन्धित वाँछित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने के कारण इस मद का सत्यापन नहीं किया जा सका।

(ङ) धरोहर राशि (Earnest Money)

धरोहर राशि के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने के कारण इस मद का सत्यापन अंकेक्षण द्वारा नहीं किया जा सकता।

(च) पंजीकरण शुल्कः–

तुलनपत्र में दर्शाई गई ₹2550000 की पंजीकरण शुल्क की राशि मण्डी समिति के कार्यालय अभिलेख के अनुसार सही है।

(छ) पंजीकरण शुल्क (अन्य)

वाँछित अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण इस मद की ₹533453.02 का सत्यापन नहीं किया जा सकता।

(ज) न्यायालय में अनिर्णीत मार्किट फीस से सम्बन्धित प्रकरण के सन्दर्भ में जमा प्रतिभूति राशिः–

मै0 करोल ब्रदर्स की मार्किट फीस का प्रकरण वसूली हेतु जिला समाहर्ता शिमला को भेजा गया था उसके खिलाफ उक्त फर्म ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने इस सन्दर्भ में उक्त फर्म को मूल ₹300000 कार्यालय में जमा करवाए जाने के निर्देश दिए थे जोकि कार्यालय के अभिलेख के अनुसार सही है।

(झ) स्थाई सम्पत्तियाँ (Fixed Assets)

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा चल व अचल सम्पत्ति का कोई भी अभिलेख तैयार न किये जाने के कारण इन मदों के सत्यापन हेतु कोई अन्य अभिलेख वर्ष 2014–15 के उत्तरांकेक्षण की समाप्ति तक भी अंकेक्षण को प्रस्तुत न करने के कारण स्थाई सम्पत्तियों के किसी भी मद का सत्यापन अंकेक्षण द्वारा नहीं किया जा सका है।

(ञ) हस्तगत राशि (Cash in hand)

तुलनपत्र के अनुसार हस्तगत राशि शून्य दर्शाई गई है, जबकि कार्यालय अभिलेख के अनुसार उप समिति रोहडू में दिनांक 31.3.2015 को ₹444882 हस्तगत थी। इस प्रकार दिनांक 31.3.2015 को कुल ₹444882 हस्तगत थी। अतः तुलनपत्र में दर्शित गल्त स्थिति बारे वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ट) बैंक शेष (Bank Balances)

तुलनपत्र के अनुसार बैंक ₹104151751 दर्शाया गया है जबकि कार्यालय अभिलेख के अनुसार ₹122568246.82 शेष बनता है। इस प्रकार चार्टर्ड अकाऊटैन्ट द्वारा बैंक शेष ₹18416495.82 से कम दर्शाया गया है। यद्यपि चार्टर्ड एकाउटैन्ट ने ₹184165495.82 को चैक जो क्रेडिट नहीं हुए दर्शाया गया है, जोकि सही नहीं है। तुलनपत्र के साथ संलग्न विवरण व कार्यालय अभिलेख के मिलान से यह स्पष्ट होता है कि ₹18416495.82 की भिन्नता निम्नलिखित बैंक से सम्बन्धित है।

क्र0सं0	**बैंक का विवरण**	**तुलन पत्र में दर्शाई गई राशि**	**अभिलेख के अनुसार राशि**	**भिन्नता**
1	चैक जो भुनाए नहीं गए (उचन्ति खाता) (Suspense Account)	18416495.82	00	18416495.82
			कुल शुद्ध भिन्नता	**(–) 18416495.82**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि चार्टर्ड अकाऊटैन्ट द्वारा दिनांक 31.3.2015 को बैंक शेष ₹18416495.82 कम दर्शाया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ठ) एफ0डी0आर0 (F.D.R.)

चार्टर्ड अकाऊटैन्ट द्वारा तुलनपत्र में एफ0डी0आर0 की ₹458790965 दर्शायी गई है जबकि कार्यालय के अभिलेख के अनुसार यह ₹475203965 है। **(परिशिष्ट–क)** चार्टर्ड एकाउटैन्ट द्वारा तुलनपत्र में उक्त ₹16413000 कम दर्शाई गई है जिस बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ड) ऋण एवं अग्रिमः–

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न ऋण एवं अग्रिम की राशि जोकि चार्टर्ड अकाउटैन्ट द्वारा समेकित रूप में ₹69276933 दर्शाई गई है, का पूर्ण सत्यापन नहीं किया जा सका, क्योंकि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा ऋण एवं अग्रिम की कुछ मदों का प्रारम्भ से ही सम्बन्धित खाता वही का रख रखाव न किए जाने तथा तदानुसार ही अंकेक्षण को उपलब्ध न करवाए जाने के कारण इन मदों का सत्यापन करना सम्भव नहीं था। ऋण

एवं अग्रिम से सम्बन्धित जो अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए हैं, का सत्यापन निम्नलिखित हैः–

(ढ) निक्षेप कार्यः–

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा निक्षेप कार्य से सम्बन्धित लैजर प्रारम्भ से ही तैयार नहीं किए गए है, जिस कारण उक्त मद में दर्शाई गई राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका, जिसका वर्णन विगत वर्षों के वार्षिक लेखों की विविक्षा टिप्पणियों में भी किया गया है। चार्टर्ड अकाउटैन्ट द्वारा वार्षिक लेखों के साथ संलग्न **(Apendix-II-A)** में निक्षेप कार्य की ₹27367594 दर्शाई गई है जबकि कार्यालय के अभिलेख के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को डिपोजिट कार्य की कुल प्रदत ₹18300102 है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ण) टी0डी0एस0ः–

चार्टर्ड अकाऊटैन्ट द्वारा तुलनपत्र में वर्ष 2014–15 में टी0डी0एस0 की ₹89596 दर्शाई गई है। मण्डी समिति कार्यालय द्वारा इस मद से सम्बन्धित वाँछित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने के कारण मद का सत्यापन नहीं किया जा सका।

(त) टी0डी0एस0 (2012–2013)

चार्टर्ड अकाऊटैन्ट द्वारा तुलनपत्र में वर्ष 2014–15 में टी0डी0एस0 2012–2013 की ₹78646 दर्शाई गई है। मण्डी समिति कार्यालय द्वारा इस मद से सम्बन्धित वाँछित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने के कारण इस मद का सत्यापन नहीं किया जा सका।

(थ) प्रतिभूतिः–

तुलनपत्र में दर्शाई गई ₹115930 की प्रतिभूति राशि का अंकेक्षण द्वारा सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि दर्शाई गई इस प्रतिभूति से सम्बन्धित पूर्व की तरह इस बार भी कोई भी अभिलेख को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(द) प्रतिभूति दूरभाषः–

तुलनपत्र में दर्शाई गई ₹15000 दूरभाष प्रतिभूति की अंकेक्षण द्वारा जाँच नहीं की जा सकी, क्योंकि दर्शाई गई इस प्रतिभूति से सम्बन्धित इस बार भी कोई अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ध) आयः—

यद्यपि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा आय से सम्बन्धित कोई भी वर्गीकृत सार तैयार नहीं किए गए है। फिर भी अंकेक्षण द्वारा वर्ष 2014—2015 में मण्डी समिति कार्यालय द्वारा विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्त आय का सत्यापन किया जा चुका है जिसके आधार पर आय व व्यय खाते में अधिकतर मद कार्यालय अभिलेख के अनुसार सही नहीं दर्शाए गए है। जिन मदों में भिन्नता पाई गई है, वे निम्नलिखित हैः—

क्र0सं0	मद	आय व व्यय खाते के अनुसार शेष	कार्यालय अभिलेख के अनुसार शेष	भिन्नता / टिप्पणी
1	कम्पाऊड फीस	34615762	33187085	(+) 1428677
2	मार्किट फीस	105756292	115835686	(—) 10079394
3	फार्म मुल्य व लाईसैन्स फीस	269322	178652	(+) 90670
4	दुकान किराया	2929283	2827012	(+) 102271
5	विश्राम गृह आय	112600	117640	(—) 5040
6	सावधि जमा योजना व बैंक द्वारा दिया गया ब्याज	29403613	37497701	(—) 8094088
7	पार्किंग फीस व माप तोल से प्राप्त आय	1464735	1594500	(—) 129765
8	अन्य आय	155391	235210	(—) 79819
9	जुर्माना	शून्य	72485	(—) 72485
			कुल शुद्ध भिन्नता	**(—) 16838973**

(न) व्ययः—

आय व व्यय खाते में अधिकतर मद कार्यालय अभिलेख के अनुसार सही नहीं दर्शाए गए है। जिन मदों में भिन्नता पाई गई है, वे निम्नलिखित हैः—

क्र0सं0	मद	आय व व्यय खाते के अनुसार शेष	कार्यालय अभिलेख के अनुसार शेष	भिन्नता / टिप्पणी
1	वेतन	8470143	9337709	(—) 867566
2	टेलीफोन व डाक व्यय	95725	109313	(—) 13588
3	बिजली पानी व्य	1195122	1027579	(+) 167543
4	प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी व्यय	183212	180932	(+) 2280

5	स्टोर/स्टॉक व आर्टिकल	382525	15068	(+) 367457
5	25**%** बोर्ड शेयर	35093013.50	37255692.75	(–) 2162679.25
			कुल शुद्ध भिन्नता	**(–) 2506553**

5 **सहायता अनुदान :–** इस वितीय वर्ष में केन्द्रीय सहायता अनुदान प्राप्त नही हुआ है।

6 **अग्रिम ₹9.31 लाख समायोजन हेतु शेषः–**

(क) मण्डी समिति शिमला व किन्नौर स्थित ढली शिमला–12 के अग्रिम रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा निम्न कर्मचारियों को कार्यालय के विभिन्न उद्देश्यों हेतु निम्नलिखित अग्रिम राशियाँ प्रदान की गई थी जोकि असमायोजित पड़ी थी, परन्तु वित्तीय वर्ष 2014–15 की समाप्ति तक इन अग्रिम राशियों का समायोजन नहीं किया गया है। अतः इन समस्त राशियों का समायोजन शीघ्रातिशीघ्र करवाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

असमायोजित अस्थाई अग्रिमों का दिनांक 31.3.2015 तक का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	अग्रिम बिल सं0	दिनांक	राशि
1.	श्री शक्त राम कश्यप	337	02.02.2001	35000
		57	04.05.2001	4000
2.	श्री हेम राज ठाकुर	357	17.03.2009	1000
		165	23.07.2012	100000
3.	श्री तेज राम कश्यप	65	09.06.2010	10000
4.	प्रबन्धक निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड खलीनी, शिमला–02	333	17.10.2013	728145
5.	श्री परस राम वर्मा	324	21.11.2014	3000
		341	27.11.2014	7000
6.	श्री मनोहर लाल शाक्या, कनिष्ठ सहायक	398	17.1.2015	5000
7	श्री टेक राम, चालक	342	27.11.2014	5000
		431	10.2.2015	10000
8	श्री राम चन्द शर्मा निलामी अभिलेखक	489 बी	24.03.2015	10000

		515	31.03.2015	10000
9	श्री प्रेम कुमार शर्मा, चपडासी	483	20.3.2015	3000
			कुल योग	**931145**

(ख) मण्डी समिति के विभिन्न कर्मचारियों के नाम में असमायोजित अग्रिम राशि के विगत वर्षों के आंकड़े निम्नानुसार है :—

क्र0 संख्या	वर्ष	कर्मचारियों के नाम असमायोजित कुल राशि (₹)
1	2002—03	11,10,768
2	2003—04	9,71,986
3	2004—05	9,04,560
4	2005—06	7,37,170
5	2006—07	7,39,670
6	2007—08	2,93,160
7	2008—09	1,31,500
8	2009—10	84,000
9.	2010—11	1,94,000
10.	2011—12	3,52,000
11.	2012—13	4,27,801
12	2013—14	1147746
13	2014—15	931145

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि अग्रिम राशियों में से कुछ अग्रिम राशियां कई वर्षो से असमायोजित है। अतः बोर्ड के प्राधिकारियों द्वारा इन के समायोजन हेतु ठोस पग उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि इन का समय पर समायोजन सम्भव हो सके।

7 दुकानों के किराए के रूप में ₹35.06 लाख वसूली हेतु शेषः—

कृषि उपज मण्डी समिति के दुकानों से सम्बन्धित किराया रजिस्टर व अन्य अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट ''ख''** के अनुसार विभिन्न आबंटियों से दिनांक 31.03.2015 को किराए की ₹3505802 की वसूली योग्य शेष थी।

अंकेक्षण द्वारा लम्बित किराए की वसूली के सन्दर्भ में प्रकरण कृषि उपज मण्डी समिति कार्यालय से वर्ष 2000–01 से वर्ष 2013–14 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में लगातार उठाया जा रहा है, किन्तु इस सन्दर्भ में कुछ विशेष सकारात्मक प्रगति नहीं हो पाई है उपरोक्त शेष किराए की वसूली के अतिरिक्त आगामी वर्षों में भी सभी दुकानों के आबंटियो से निर्धारित शर्तों के अनुसार समय पर किराए की वसूली सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है। अतः नियमों/अधिनियमों के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत चूककर्त्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए उचित कार्रवाई की जाए ताकि मण्डी समिति को कथित राशियों पर प्राप्त योग्य ब्याज के रूप में हो रही अप्रत्यक्ष हानि से भी बचा जा सके।

8. लाईसैन्सधारियों द्वारा व्यापार शून्य दर्शाना :–

परिशिष्ट ''ग''–(i) में वर्णित व्यापारियों की नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि इन व्यापारियों द्वारा उनके नाम के विरूद्ध दर्शाई गई अवधियों में व्यापार शून्य दर्शाया है जैसा कि इन व्यापारियों से सम्बधित 'ओ' फार्म के अवलोकन से विदित होता है।

इस प्रकरण में मण्डी समिति के किसी भी प्राधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस आशय की पुष्टि नहीं की गई है कि इस अवधि में 'शून्य' दर्शाया गया व्यापार वास्तविक तथ्यों पर आधारित हैं अथवा नहीं जिस से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा आय एकत्रीकरण पर किसी प्रभावशाली नियन्त्रण एवम पर्यवेक्षण के स्थान पर व्यापारियों द्वारा 'ओ' फार्म में की गई घोषणा के आधार पर ही मण्डी शुल्क वसूला जा रहा है, जोकि एक उचित प्रक्रिया नहीं है। अतः सुझाव दिया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में नीति निर्धारित करके समय रहते वास्तविकता की पुष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए व सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा मण्डी शुल्क को जमा करने हेतु टाल–मटोल करने तथा नियमों/विनियमों की उल्लंघना करने की परिस्थिति में नियमों/अधिनियमों में प्रावधित व्यवस्था के अनुसार दण्ड सहित मण्डी शुल्क की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। यह प्रकरण प्रबन्धक निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, शिमला, 171002 के विशेष ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है क्योंकि इस प्रकार के सपरीक्षा सुझाव गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में शामिल करने के उपरांत भी इन प्रकरणों में आज दिन तक कोई कार्रवाई/अनुपालना नहीं की गई है जो स्वतः ही विपणन समिति के हित में नहीं है।

9. मण्डी शुल्क की वसूली न करने के कारण मण्डी समिति को आय की हानि के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त योग्य ब्याज के रूप में हानि होने के बारे में :–

मण्डी समिति की वर्ष 2014–15 की आय की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट ''ग'' (ii)** में दर्शाये गए व्यापारी जोकि मण्डी समिति के लाईसैंस धारक है, से उनके नामों के विरूद्ध दर्शाई गई अवधियों में कोई मण्डी शुल्क वसूल नहीं किया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 45(2) एवं हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकी उपज विपणन (साधारण) नियम 2005 के नियम 35 के अर्न्तगत सभी लाईसैंस धारकों द्वारा प्रतिदिन क्रय–विक्रय के सम्बन्ध मे ''ओ'' फार्म प्रस्तुत करना तथा 14 दिनों के भीतर ही मण्डी शुल्क अदा करना अनिवार्य है।

इन प्रकरणों में मण्डी शुल्क की वसूली समय पर न किए जाने के कारण मण्डी समिति को प्राप्त योग्य आय की हानि के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त योग्य ब्याज की भी हानि हुई है। पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2008–09 व 2009–10 में ऐसे प्रकरणों की संख्या में कमी आई थी परन्तु वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14 व 2014–15 में ऐसे प्रकरणों की संख्या में पुनः वृद्धि हुई है। अतः इस सन्दर्भ में मण्डी शुल्क की वसूली उपरोक्त अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार की जानी सुनिश्चित की जाए जिससे एक ओर अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की अनुपालना हो सके वहीं दूसरी ओर मण्डी समिति को समय पर मण्डी शुल्क की वसूली न होने से मण्डी शुल्क की आय की हानि एवं उस पर प्राप्त योग्य ब्याज की हानि से बचा जा सके।

10. लाईसैंसधारी व्यापारियों से देय मण्डी शुल्क से कम शुल्क की वसूली किए जाने के फलस्वरूप मण्डी समिति को ₹0.82 लाख की सम्भावित हानिः–

मण्डी समिति के व्यापारियों की नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट ''ग'' (iii)** में दर्शाए गए कुछ व्यापारियों के नामों के विरूद्ध दर्शाई गई अवधियों में मण्डी शुल्क देय शुल्क से कम वसूला गया है। इस बारे में अकेंक्षण अधियाचना संख्या 161 दिनॉक दिनांक 25.8.2014 व 38 दिनांक 5.2.2015 द्वारा मण्डी समिति कार्यालय को अवगत करवाया गया था परन्तु मण्डी समिति कार्यालय द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई।

ऐसे प्रकरणों में जहाँ मण्डी शुल्क की वसूली देय शुल्क से ₹82047 कम जमा किए जाने के कारण जहाँ एक ओर मण्डी समिति को प्राप्त योग्य आय की हानि हुई है, वहीं अप्रत्यक्ष रूप से उस राशि पर प्राप्त योग्य ब्याज की भी हानि हुई है। अतः ऐसे प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाए जाते हैं कि लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी समिति अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार मण्डी शुल्क की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए जिससे अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की अनुपालना के साथ–साथ मण्डी समिति को मण्डी शुल्क की पूर्ण वसूली होने के साथ–साथ उस पर प्राप्त योग्य ब्याज की हानि से बचा जा सके।

11 विभिन्न व्यापारियों द्वारा कई–कई महीनों का मण्डी शुल्क एक साथ जमा करने के फलस्वरूप मण्डी समिति को ब्याज के रूप में लाखों रूपये की सम्भावित हानिः–

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम, 2006 के नियम 35 के अनुसार मण्डी समिति के सभी पंजीकृत व्यापारियों द्वारा क्रय–विक्रय के सन्दर्भ में प्रतिदिन ओ' फार्म प्रस्तुत करना तथा तदानुसार 14 दिनों के भीतर ही मण्डी शुल्क जमा करवाया जाना अपेक्षित है किन्तु मण्डी समिति के पंजीकृत व्यापारियों की सम्बन्धित नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी शुल्क की वसूली उपरोक्त नियमानुसार होने की अपेक्षा अत्यन्त विलम्ब से की जा रही है। पंजीकृत व्यापारियों द्वारा कई–कई महीनों का मण्डी शुल्क एक साथ जमा करवाया गया है, जैसा कि **परिशिष्ट "ग" (iv)** पर दिए गए विवरण से भी स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार इन व्यापारियों से लाखों रुपये कई–कई महीनों तक वसूली हेतु शेष रहते हैं जिस कारण मण्डी समिति को प्राप्त योग्य ब्याज के रूप में लाखों रुपयों की अप्रत्याशित हानि हो रही है क्योंकि यदि उक्त मण्डी शुल्क समय पर वसूला गया होता तो संलिप्त राशियों पर बैंक से ब्याज के रूप में मण्डी समिति को लाखों रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई होती।

अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि विलम्ब से मण्डी शुल्क जमा करने की परिस्थिति में सम्बन्धित व्यापारियों से नियमों/अधिनियमों के प्रावधानानुसार दण्ड सहित वसूला जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

12. विभिन्न व्यापारियों से मण्डी शुल्क देय तिथि पर वसूलने की अपेक्षा अत्यन्त विलम्ब से वसूलने के कारण मण्डी समिति को ब्याज के रूप में लाखों रुपयों की सम्भावित हानिः—

मण्डी समिति द्वारा पंजीकृत व्यापारियों की सम्बन्धित नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा मण्डी शुल्क की वसूली नियमानुसार करने की अपेक्षा अत्यन्त विलम्ब से की जा रही है जैसा कि **परिशिष्ट ''ग'' (v)** में दिए गए विवरण से भी स्पष्ट होता है। इस परिशिष्ट से स्वतः ही स्पष्ट होता है कि मण्डी शुल्क की वसूली कुछ व्यापारियों से 6 माह से अधिक समय के पश्चात की गई है। इस प्रकार प्रत्येक व्यापारी से लाखों रुपये कई—कई महीनों तक वसूली योग्य शेष होने के कारण मण्डी समिति को उपरोक्त राशि पर प्राप्त योग्य ब्याज के रूप में परोक्ष रूप से लाखों रूपयों की अप्रत्याशित हानि हुई है, क्योंकि यदि यथा परिशिष्ट मण्डी शुल्क समय पर वसूला गया होता तो संलिप्त राशियों पर बैंक से ब्याज के रूप में मण्डी समिति को लाखों रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती थी।

इस प्रकार की अनियमितताओं के प्रकरण मण्डी समिति के ध्यानार्थ वर्ष 2001—02 से 2013—14 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अन्तर्गत लगातार लाए जा रहे है किन्तु इस सन्दर्भ में कोई सार्थक परिणाम न होने के कारण यह प्रकरण पुनः मण्डी समिति के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि मण्डी शुल्क की वसूली/एकत्रीकरण समय पर सुनिश्चित किया जाए तथा विलम्ब की स्थिति में समस्त संलिप्त मामलों में यथा प्रावधानानुसार दण्ड सहित मण्डी शुल्क की वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथाशीघ्र अंकेक्षण को अवगत किया जाए व भविष्य हेतु इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति से निश्चित तौर पर परिहार किया जाए।

13. नाका चौकी शोघी, कुडडू तथा नेरीपुल में गैर लाईसैंस धारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की ₹11.43 लाख की कम वसूली के कारण मण्डी समिति को सम्भावित हानिः—

मण्डी समिति द्वारा स्थापित नाका चौकी शोघी, नेरीपुल तथा वानीपुल की अवधि 01.04.2014 से 31.03.2015 की आय की जाँच करने पर पाया गया कि इन नाका चौकियों में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की वसूली हिमाचल प्रदेश कृषि एवं

औद्योनिकी उपज विपणन (विकास एवं विनियम) अधिनियम 2005 की धारा 75 व इस सन्दर्भ में मण्डी समिति द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप न करने के कारण यथा विवरण **परिशिष्ट ''घ''** के अनुसार कम्पाऊंड शुल्क की क्रमश : ₹1132185, ₹9487 तथा ₹870 अर्थात कुल ₹1142542 की कम वसूली के कारण मण्डी समिति को निश्चित तौर पर हानि हुई है जिसकी भरपाई सम्बन्धित व्यापारियों अथवा उत्तरदायी कर्मचारियों से की जानी अपेक्षित है। ऐसे प्रकरण अंकेक्षण द्वारा वर्ष 2001–02 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों से लेकर वर्ष 2013–14 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अन्तर्गत लगातार मण्डी समिति के ध्यानार्थ लाए जा रहे है, लेकिन इस सन्दर्भ में वर्ष 2003–04, 2008–09 तथा वर्ष 2012–13 के दौरान कुछ सुधार तो हुआ था परन्तु वर्ष 2006–07, 2009–10, 2010–2011, 2011–12, 2012–13 तथा वर्ष 2014–15 में ऐसे प्रकरणों में निरन्तर वृद्धि हुई है जिससे यह प्रतीत होता है कि मण्डी समिति कार्यालय इस प्रकार की हानि/दुर्विनियोजन पर अंकुश लगाने तथा मण्डी समिति को हानि से रोकने हेतु गम्भीर नहीं है।

विगत वर्षों में मण्डी समिति को हुई इस प्रकार हानि का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

क्रम संख्या	अवधि जिसमें कम्पाऊंड शुल्क वसूला गया	कम वसूला गया कम्पाऊंड शुल्क
1	01.04.2001 से 31.03.2002	10,21,801
2	01.04.2002 से 31.03.2003	1,33,618
3	01.04.2003 से 31.03.2004	3,186
4	01.04.2004 से 31.03.2005	15,680
5	01.04.2005 से 31.03.2006	21,310
6	01.04.2006 से 31.03.2007	2,65,376
7	01.04.2007 से 31.03.2008	63,278
8	01.04.2008 से 31.03.2009	2,346
9	01.04.2009 से 31.03.2010	51,706
10	01.04.2010 से 31.03.2011	53,963
11.	01.04.2011 से 31.03.2012	1,23,241
12.	01.04.2012 से 31.03.2013	14,141
13	1.4.2013 से 31.3.2014	91160
14	1.4.2014 से 31.3.2015	1142542

14. बैंक में ₹0.14 लाख कम जमा करके उक्त राशि का दुर्विनियोजन किया जानाः–

मण्डी समिति की नाका चौकी शोघी व नेरीपुल की वर्ष 2014–2015 की रसीद बुक, रोकड़ बही व बैंक विवरणियों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न नाकाचौकियों पर तैनात कर्मचारियों द्वारा आय की वास्तविक राशि की अपेक्षा कम व अधिक राशि बैंकों में जमा करवा करके ₹14460 का दुर्विनियोजन किया है। जिसकी पुष्टि सम्बन्धित बैंक खातों की बैंक विवरणियों से की जा चुकी है। नाका चौकी शोघी द्वारा बैंक में कम जमा करवाई गये ₹6029 को सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ढली के पत्र संख्या ए0पी0यू0सी0/एम0एम0एल0–1–14 खण्ड VIII-6749 दिनांक 21.12.15 द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल कर लिया गया है। इसकी पुष्टि अभिलेख से कर ली गई है। परन्तु अभी तक भी नाका चौकी नेरीपुल की कम जमा करवाई गई ₹8431 जिसका विवरण **परिशिष्ट "ङ"** पर दिया गया है, की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से अभी तक नहीं की गई है जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से शीध्र करके अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत किया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाये।

15. नाकाचौकियों पर कम्पाऊंड शुल्क वसूल करते हुए रसीद बुकों में वस्तु का नाम प्रमात्रा व मूल्य दर्शाए बिना वसूली करनाः–

मण्डी समिति की नाकाचौकियों की वर्ष 2014–15 की आय की जाँच करने पर पाया गया कि इन नाकाचौकियों पर गैर लाईसैन्सधारी व्यापारियों से रसीद बुकों द्वारा जो कम्पाऊंड शुल्क वसूल किया गया है उन रसीद बुकों में वसूले गए कम्पाऊंड शुल्क के सन्दर्भ में न तो वस्तु की प्रमात्रा का जिक्र है और न ही वस्तु का मूल्य दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त कई प्रकरणों में तो यह भी नहीं दर्शाया गया है कि कम्पाऊंड शुल्क वस्तु पर लिया जा रहा है। इस प्रकार वसूले गए कम्पाऊंड शुल्क की प्रमाणिकता तथा इसकी वैद्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अनियमितता का उपरोक्त प्रकरण मण्डी समिति के ध्यानार्थ नाकाचौकियों में तैनात कर्मचारियों को अपेक्षित दिशानिर्देश देने तथा उनके कार्यों का पर्यवेक्षण प्रभावशाली ढ़ंग से सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से लाया जाता है ताकि ऐसे प्रकरणों पर पूर्ण अंकुश लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त सुझाव दिया जाता है कि नाकाचौकियों में कार्यरत्त कर्मचारियों को उक्त सन्दर्भ में विशेष प्रशिक्षण दिया जाए ताकि

कार्यशैली में सुधार आ जाए। इस प्रकार के कुछ प्रकरण उदाहरणार्थ **परिशिष्ट "च"** पर दर्शाए गए है।

16 **(i) कृषि उपज मण्डी समिति शिमला व किन्नौर स्थित ढली, शिमला में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या के बारे में:—**

कृषि उपज मण्डी समिति शिमला का कार्यक्षेत्र प्रदेश के दो जिलों अर्थात जिला शिमला व जिला किन्नौर है, परन्तु इस समिति से पंजीकृत कृषि उपज से जुडे इन दो जिलों के व्यापारियों की संख्या सन्तोषजनक नहीं है, जैसा कि निम्न तालिका के अवलोकन से भी विदित होता है:—

क्र0सं0	**अवधि**	**कृषि उपज से जुडे उन व्यापारियों की संख्या जो कृषि उपज मण्डी समिति शिमला व किन्नौर से पंजीकृत है**
1	मण्डी समिति के अस्तित्व में आने से 31.03.2001 तक	629
2	1.4.2001 से 31.3.2002 तक	539
3	1.4.2002 से 31.3.2003 तक	682
4	1.4.2003 से 31.3.2004 तक	637
5	1.4.2004 से 31.3.2005 तक	716
6	1.4.2005 से 31.3.2006 तक	637
7	1.4.2006 से 31.3.2007 तक	599
8	1.4.2007 से 31.3.2008 तक	511
9	1.4.2008 से 31.3.2009 तक	478
10	1.4.2009 से 31.3.2010 तक	504
11	1.4.2010 से 31.3.2011 तक	630
12	1.4.2011 से 31.3.2012 तक	704
13	1.4.2012 से 31.3.2013 तक	678
14	1.4.2013 से 31.3.2014 तक	620
15	1.4.2014 से 31.3.2015 तक	702

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर कार्यालय कृषि उपज से जुडे व्यापारियों के पंजीकरण के सन्दर्भ में गम्भीर नहीं है क्योंकि यदि किसी वर्ष मण्डी समिति से पंजीकृत कृषि उपज से जुडे व्यापारियों की संख्या

में वृद्धि दर्ज हुई है, तो आगामी वर्ष में इस संख्या में कमी भी आई है, जैसे कि वर्ष 2008–09 में इस संख्या में बाकी वर्षों की तुलना में भारी कमी आई है। अंकेक्षण द्वारा यह प्रकरण मण्डी समिति के ध्यानार्थ विगत अंकेक्षण प्रतिवेदनों द्वारा भी लाया जाता रहा है।

अतः इस सन्दर्भ में विपणन बोर्ड एवं विपणन समिति प्राधिकारियों द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने की नितान्त आवश्यकता है, ताकि इस सन्दर्भ में सार्थक प्रगति होने के फलस्वरूप मण्डी समिति की आय में बढ़ौतरी सुनिश्चित की जा सके।

(ii) मण्डी समिति के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा "ओ" फार्म न भरनाः–

मण्डी समिति के पंजीकृत व्यापारियों की नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार विगत तेरह वर्षों में ओ फार्म प्रस्तुत न करने की प्रतिशतता में निरन्तर बढ़ौतरी हो रही है। वर्ष 2005–2006 व 2006–2007 व 2013–2014 में तो यह प्रतिशतता 50% से अधिक थी तथा 2011–2012, 2012–2013 में यह प्रतिशतता लगभग 50% के ही करीब है जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि पंजीकृत लाईसैन्सधारी व्यापारियों द्वारा क्रय व विक्रय के सम्बन्ध में ओ फार्म प्रस्तुत न करने के कारण जहाँ मण्डी समिति को मण्डी शुल्क की वसूली न होने के कारण अत्याधिक आय की हानि हो रही है, वहीं मण्डी समिति प्रशासन भी प्रभावशाली नियन्त्रण व पर्यवेक्षण के अभाव में गम्भीर नहीं है। अतः इस सन्दर्भ में विपणन बोर्ड एवं विपणन समिति प्राधिकारियों द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने की नितान्त आवश्यकता है। विगत वर्षों की तालिका का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि	वर्षवार मण्डी समिति के पंजीकृत लाईसैन्सधारी व्यापारियों की सं0	ओ फार्म प्रस्तुत न करने वाले पंजीकृत लाईसन्सधारी व्यापारियों की सं0	ओ फार्म प्रस्तुत न करने वाले पंजीकृत लाईसैन्सधारी व्यापारियों की वर्ष वार प्रतिशतता
1	2001–2002	539	64	11.87%
2	2002–2003	682	135	19.79%
3	2003–2004	637	165	25.90%
4	2004–2005	716	262	36.59%
5	2005–2006	637	331	51.96%
6	2006–2007	599	314	52.42%
7	2007–2008	511	199	38.94%
8	2008–2009	478	70	14.64%

9	2009–2010	504	71	8.13%
10	2010–2011	630	218	34.60%
11	2011–2012	623 (704–81)	285	45.74%
12	2012–2013	678	327	48.23%
13	2013–2014	516 (620–104)	343	66.47%
14	2014–2015	702	95	13.53%

17 वाहन की ईंधन की खपत निर्धारित माप दण्डों से कम होने के फलस्वरूवप ₹0.15 लाख की वित्तीय हानि बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या जी0ए0डी0–ए (डी)–1–98 दिनांक 21.01.97 जी0ए0डी0–ए (डी) 1–1–96 दिनांक 4.2.2006 तथा जी0ए0डी0–ए (डी)–1–1/96–1 दिनांक 14.7.2014 द्वारा सरकार ने टोयोटा–ईनोवा की डीजल की औसत खपत स्थानीय यात्रा के लिए 7.24 किलोमीटर प्रति लीटर तथा लम्बी दूरी की यात्रा हेतु 10.02 किलोमीटर प्रति लीटर निर्धारित दर की है। जबकि मण्डी समिति के वाहन संख्या एच0पी0 07 डी–5900 ईनोवा की डीजल की औसत खपत सरकार द्वारा निर्धारित उक्त मापदण्डों से कम पाई गई है। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2014–15 में वाहन में डीजल की ₹14767.44 की अधिक खपत की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली उत्तरदायी से की जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

	माह के दौरान तय दूरी			सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर जितने तेल की खपत			माह के दौरान ईंधन की वास्तविक खपत	ईंध की अधिक खपत	दर	₹
माह	लम्बी दूरी में तय दूरी	स्थानीय यात्रा की तय दूरी	कुल तय दूरी	लम्बी यात्रा पर तेल खपत	स्थानीय यात्रा पर तेल खपत	यात्रा पर कुल खपत				
4/14		116	116	–	16	16	16	Nil		
5/14	1163	238	1401	116.06	32.82	148.88	160	11.12	56.20	624.94
6/14	1060	547	1607	105.78	75.55	181.33	216	34.67	57.17	1982.08
7/14	1469	471	1940	146.60	65.05	211.65	261	49.35	56.23	2774.95
8/14	1151	1781	2932	114.87	246.00	360.87	342	(–) 18.87	57.88	(–) 1092.20
9/14	1518	719	2237	151.49	99.30	250.79	286	35.21	58.43	2057.32
10/14	1595	371	1966	159.18	51.24	210.42	236	25.58	53.03	1356.51

11/14	1575	926	2501	157.18	127.90	285.08	295	9.92	53.00	525.76
12/14	1835	642	2477	183.13	8867	271.80	288	16.20	50.26	814.21
1/15	1915	543	2458	191.11	75.00	266.11	283	16.89	48.91	826.09
2/15	1967	446	2413	196.30	61.60	257.90	302	44.10.	47.27	2084.61
3/15	1645	506	2151	164.17	69.88	234.05	290	55.95	50.28	2813.17
									G.Total	**14767.44**

18 सावधि जमा ₹150.00 लाख को सावधि जमा रजिस्टर व रोकड़ बही में ईन्द्राज न करना:–

मण्डी समिति के वर्ष 2014–15 के सावधि जमा रजिस्टर व सावधि जमा राशियों की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा दिनांक 7.1.15 को पंजाब नैशनल बैंक, बलक के खाता संख्या 2196000100007099 से ₹15000000 की निकासी करने के उपरान्त पंजाब नैशनल बैंक सन्जौली के सावधि खातों में निम्न विवरणानुसार निवेश की गई। इन सावधि जमा राशियों को सावधि जमा रजिस्टर/रोकड़ बही में ईन्द्राज नहीं किया गया है। जोकि मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों द्वारा प्रभावी नियन्त्रण न किए जाने का परिचायक है। अतः उपरोक्त प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण प्रभावशाली ढ़ंग से करवाने के उद्देश्य से लाया जाता है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सावधि जमा रजिस्टर में समिति निधि निकालते व पुनः निवेश करते समय इस सन्दर्भ में पूर्ण अभिलेख का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करें।

सावधि खाता संख्या	**अवधि**	**राशि**
00005442	7.1.15 से 7.1.16	8000000
00005433	7.1.15 से 7.1.16	7000000
		15000000

19 मण्डी समिति द्वारा विभिन्न बचत खातों में अत्याधिक राशि रखने के परिणामस्वरूप मण्डी समिति को प्राप्त योग्य ब्याज की सम्भावित हानि के बारे में:–

मण्डी समिति द्वारा वर्ष 2013–2014 के विभिन्न बैंकों में संचालित बैंक खातों की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा दिन प्रतिदिन के व्ययों के भुगतान करने के उपरान्त भी बचत खातों में अनावश्यक रूप से अधिक राशि रखी जाती रही

है जैसा कि **परिशिष्ट "छ"** पर दर्शाए गए विवरण एवम नीचे दी गई तालिका पर बचत खातों में तिमाही वार जमा राशि के आधार पर बनाए गए विस्तृत विवरण के अवलोकन से विदित होता है जबकि इस राशि का निवेश सुगमता से सावधि जमा योजना में हो सकता था।

क्र0सं0	**तिमाही**	**विभिन्न बैंकों में बचत खातों की जमा राशि**
1	31.3.2014 को समाप्त तिमाही	91617681
2	30.6.2014 को समाप्त तिमाही	45346803.30
3	30.09.2014 को समाप्त तिमाही	91232003.68
4	31.12.2014 को समाप्त तिमाही	122593173.38
5	31.3.2015 को समाप्त तिमाही	85666274.18

उपरोक्त राशियों का एक सुनिश्चित भाग सुगमता से सावधि जमा योजना में निवेशित किया जा सकता था। यदि उपरोक्त तिमाहीवार बचत खातों में रखी गई राशियों में से आधिक्य राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाता तो मण्डी समिति को ब्याज के रूप में प्राप्त योग्य राशि की सम्भावित हानि नहीं हुई होती। अतः इस प्रकरण में पूरी छानबीन करने के साथ–साथ मण्डी समिति द्वारा प्रभावी वित्तीय प्रबन्धन भी सुनिश्चित किया जाए तथा आधिक्य राशियों का निवेश सावधि जमा योजना में किया जाए जिससें मण्डी समिति को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय प्राप्त करना सुनिश्चित हो सके।

20 निक्षेप (Deposit Works) कार्यों हेतु जमा करवाई गई ₹183.00 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा विभिन्न कार्यों का निर्माण हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खलीनी शिमला–171002 के माध्यम से निक्षेप कार्य के विरूद्ध करवाया जाता है, जिसके लिए धन की वयवस्था मण्डी समिति की निधि से की जाती है। मण्डी समिति द्वारा निक्षेप कार्य के अर्न्तगत करवाए गए निर्माण कार्य के सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने अपेक्षित है। इस सन्दर्भ में कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर द्वारा वर्ष 2013–2014 में निर्माण कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, शिमला के पास ₹18300102 जमा करवाई गई थी। जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ज"** पर दिया गया है। परन्तु उक्त जमा करवाई गई राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी भी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए है। जिन्हें

विपणन बोर्ड कार्यालय से शीघ्र प्राप्त कर अंकेक्षण को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि न तो हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड निक्षेप कार्य के अन्तर्गत प्राप्त राशि को उपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने बारे गम्भीर है और न ही मण्डी कार्यालय समय–समय पर विपणन बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने उपरान्त यथासमय अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने के लिए गम्भीर है। इस प्रकरण में विगत वर्षों से लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने का ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	**वर्ष**	**राशि**
1	2001–2002	428750
2	2002–2003	350000
3	2003–2004	–
4	2004–2005	4963400
5	2005–2006	2400000
6	2006–2007	8797000
7	2007–2008	9197000
8	2008–2009	9204600
9	2009–2010	17311985
10	2010–2011	9947377
11	2011–2012	8415930
12	2012–2013	15424868
13	2013–14	9067492

अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ अपेक्षित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

21 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अशंदान का भुगतान विलम्ब से करने के कारण ₹0.04 लाख के ब्याज एवं पैनल्टी के रूप में भुगतान किया जानाः—

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि वाउचर संख्या 461 दिनांक 4.3.2015 द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अवधि 1.6.2004 से 29.8.2014 तक की अंशदान की राशि विलम्ब से भुगतान करने के कारण सहायक भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रिय भविष्य निधि कार्यालय, कुसुम्पटी शिमला—9 द्वारा उनके पत्र संख्या—एच0पी0/ एस0एम0एल0/ 0001819/ 000/ Enf 505/ डेमेज/ 16942 दिनांक 9.9.2014 द्वारा ई0पी0एफ0 व एम0पी0 एक्ट 1952 से सैक्शन 6, 6 (ए) व 6 (सी) के अन्तर्गत कर्मचारी पैन्शन योजना—1995 और कर्मचारी डिपोजिट लिक्ड इन्शोरेन्स स्कीम—1976 के अन्तर्गत अवधि 1.6.2004 से 29.8.2014 तक के अंशदान का भुगतान कृषि उपज मण्डी समिति शिमला व किन्नौर ढली, शिमला—12 द्वारा विलम्ब से करने के कारण ₹4439 ब्याज एवं पैनल्टी के रूप में भुगतान किया गया।

कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय द्वारा पत्र संख्या एच0पी0/ एसएमएल/ 0001819/000/ Enf 505/ डेमेज/ 16942 दिनांक 5.9.2014 द्वारा उपरोक्त ब्याज व पैन्ल्टी की राशि का भुगतान करने से पूर्व मण्डी समिति को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 13.10.2014 को कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में उपस्थित होने हेतु सूचित किया परन्तु अभिलेख में उपलब्ध पत्राचार से यह प्रतीत होता है कि मण्डी समिति कार्यालय का कोई अधिकारी/कर्मचारी उक्त तिथि को मण्डी समिति का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उक्त कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

अंकेक्षण द्वारा उपरोक्त पैनल्टी व ब्याज का बिल अंकेक्षण अधियाचना संख्या 64 दिनांक 12.3.2015 जारी करके पारित किया गया ताकि बिल का भुगतान न करने के कारण मण्डी समिति को कोई कानूनी व अन्य असुविधा का सामना न करना पडे तथा इस शर्त के साथ पारित किया गया कि इस पैनेल्टी की राशि की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी कर्मचारी से वसूली जाए परन्तु इस सम्बन्ध में मण्डी समिति द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाए।

22 बिजली के बिल का भुगतान/नियत निधि को न करने के कारण ₹1007 का अधिभार के रूप में भुगतान किया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि फल मण्डी भटठाकुफर में बिजली के मीटर संख्या 11123 वी0टी0सी0 21000003 का ₹52883 का बिजली का बिल वाउचर संख्या 148 दिनांक 4.7.2014 द्वारा दिनांक 4.7.2014 को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया तथा अंकेक्षण द्वारा उक्त बिल उसी तिथि 4.7.2014 को पारित किया गया। उक्त बिल की देय तिथि 28.6.2014 थी जबकि उक्त बिल 4.7.2014 को तैयार किया गया। अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 140 दिनांक 28.7.2014 के द्वारा उक्त बिल को देय तिथि के उपरान्त भुगतान करने का कारण स्पष्ट करने तथा बिल को विलम्ब से भुगतान करने का दायित्व करने तथा इसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करने का अनुरोध किया गया परन्तु मण्डी समिति द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अधिभार की राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

23 विभिन्न बिलों से ₹1.38 लाख की स्थल पर की गई कटौती के बारे मेंः–

निवासी अंकेक्षण योजना के पूर्वाकेंक्षण के दौरान प्रस्तुत किये गये विभिन्न बिलों की वर्ष 2014–2015 में जाँच पड़ताल दौरान ₹137847 की कटौती अंकेक्षण द्वारा स्थल पर करवा दी गई थी। अतः मण्डी समिति के प्राधिकारियों को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में पूर्वाकेंक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न बिलों की सही प्रकार से जाँच पड़ताल के उपरान्त ही इन्हें अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें व आन्तरिक जाँच प्रणाली को सुदृढ बनाया जाए ताकि अनियमित अदायगी की किसी भी सम्भावना से बचा जा सके।

24 निष्कर्षः–

कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर, ढली, शिमला–12 के लेखों का रख रखाव असन्तोषजनक है। मण्डी समिति कार्यालय द्वारा वर्ष 2014–15 की वित्तीय स्थिति व अन्य अभिलेख/सूचनाएं अंकेक्षण को प्रस्तुत न किये जाने के कारण इन सूचनाओं का उल्लेख इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में नहीं हो सका। मण्डी समिति कार्यालय द्वारा बैंक समाधान भी नहीं किया गया है और बैंक खातों का नियमानुसार मिलान भी नहीं किया जा रहा है। पुराने लम्बित पड़े अंकेक्षण पैरों व अंकेक्षण अधियाचनाओं को निपटाने में

गतिशीलता नगण्य है व अंकेक्षण हेतु सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण से प्रस्तुत नहीं किया जाता है जिस कारण जहाँ अंकेक्षण कार्य में अवरोध पैदा होता है वहीं अंकेक्षण प्रतिवेदन को तैयार करने में भी विलम्ब होता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14) 38/70,खण्ड–17–2208–2211 दिनांक, 28.03.20108 शिमला–171009

पंजीकृत प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति शिमला किन्नौर स्थित ढली हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अनुभाग अधिकारी निवासी अंकेक्षण योजना मण्डी समिति सोलन तथा इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड विपणन भवन खलीनी शिमला–171002
3. विशेष सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
4. अनुभाग अधिकारी निवासी अंकेक्षण योजना विपणन समिति शिमला किन्नौर स्थित ढली शिमला–171012

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177–2620881

Appendix-I **पैरा 1 (घ) से सन्दर्भित**

अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2014 से 3/2015

(A) अनिर्णीत अंकेक्षण पैरेः–

(क) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 7/74 से 3/83

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–5	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (ए, सी)	अनिर्णीत
4	पैरा–10 (बी, सी)	अनिर्णीत
5	पैरा–12	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत
7	पैरा–15	अनिर्णीत

(ख) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/83 से 3/84

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (ए)	अनिर्णीत

(ग) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/84 से 3/85

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (ए)	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (ए)	अनिर्णीत
4	पैरा–8 (ए)(डी, ई)	अनिर्णीत
5	पैरा–11	अनिर्णीत
6	पैरा–12	अनिर्णीत
7	पैरा–13	अनिर्णीत
8	पैरा–15	अनिर्णीत
9	पैरा–16 (3), (8) (9)	अनिर्णीत

(घ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/85 से 3/86

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (1), (6), (7) (14)	अनिर्णीत
3	पैरा–9 (सी)	अनिर्णीत
4	पैरा–10 (1, 2)	अनिर्णीत
5	पैरा–11	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत

(ङ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/86 से 3/88

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (ए) (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा–10 (बी) (डी से जी)	अनिर्णीत
4	पैरा–11 (ए से डी)	अनिर्णीत
5	पैरा–12	अनिर्णीत

(च) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/88 से 3/91

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (क से ङ तक)	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (क से ग तक)	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा–10 (क से ग तक)	अनिर्णीत
7	पैरा–10 (च) (1 से 7 तक)	अनिर्णीत
8	पैरा–10 (5) (1 से 4 तक)	अनिर्णीत
9	पैरा–11	अनिर्णीत
10	पैरा–12 (क से ख तक)	अनिर्णीत
11	पैरा–14	आंशिक निर्णीत

12	पैरा–14 (क से ङ तक)	अनिर्णीत
13	पैरा–15 (ख से ग तक)	अनिर्णीत
14	पैरा–16 (क,ख,ग,घ,च,छ,ज,झ,य एवं ट)	अनिर्णीत
15	पैरा–17	अनिर्णीत
16	पैरा–18 (क)	अनिर्णीत
17	पैरा–20	अनिर्णीत
18	पैरा–22	अनिर्णीत
19	पैरा–23	अनिर्णीत
20	पैरा–24 (क तथा ख)	अनिर्णीत
21	पैरा–25	अनिर्णीत
22	पैरा–26	अनिर्णीत
23	पैरा–27	अनिर्णीत
24	पैरा–28	अनिर्णीत
25	पैरा–29	अनिर्णीत

(छ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/91 से 3/96

1	पैरा–3 (ग), (3), (4) (9)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (क) (4)	अनिर्णीत
3	पैरा–5	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (क, ख) (1 से 5)ग,घ,ङ,च तथा छ)	अनिर्णीत
5	पैरा–7 (क)(1,4,5,6) तथा (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा–7 (क) (3)	अनिर्णीत
7	पैरा–8 (क) (ग)	अनिर्णीत
8	पैरा–8 (ख)	आंशिक निर्णीत
9	पैरा–9 (3)	अनिर्णीत
10	पैरा–10 (क) (2)	अनिर्णीत
11	पैरा–10 (ख) (2)	आंशिक निर्णीत
12	पैरा–10 (घ) (1 तथा 2)	अनिर्णीत
13	पैरा–10 (ङ)	अनिर्णीत

14	पैरा–10 (च) (1 तथा 3)	अनिर्णीत
15	पैरा–10 (ज) (1) (ए तथा बी)	अनिर्णीत
16	पैरा–10 (ज) (2 तथा 3)	अनिर्णीत
17	पैरा–10 (झ) आंशिक निर्णीत	आंशिक निर्णीत
18	पैरा–10 (ण)	आंशिक निर्णीत
19	पैरा–11	अनिर्णीत
20	पैरा–12	अनिर्णीत
21	पैरा–13	अनिर्णीत
22	पैरा–14	अनिर्णीत
23	पैरा–15	अनिर्णीत
24	पैरा–16	अनिर्णीत
25	पैरा–17	अनिर्णीत
26	पैरा–18	अनिर्णीत
27	पैरा–19	अनिर्णीत
28	पैरा–20	अनिर्णीत
29	पैरा–21	अनिर्णीत
30	पैरा–22	अनिर्णीत
31	पैरा–23	अनिर्णीत

(ज) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/96 से 3/99

1	पैरा–3 (ख) (2, (7)	अनिर्णीत
2	पैरा 3 (ख) (9 से 12)	अनिर्णीत
3	पैरा–3 (ग) (3), (6) (8) एवं (9)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (क) एवं (ख)	आंशिक निर्णीत
5	पैरा–6 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा–7 (1)	अनिर्णीत
7	पैरा–8 (क) एवं (ख) (1 से 5)	अनिर्णीत
8	पैरा–8 (ग) (1 से 2)	अनिर्णीत
9	पैरा–9 (क) (ख) एवं (ग)	अनिर्णीत

10	पैरा–10 (क, ख, एवं ग)	अनिर्णीत
11	पैरा–11 (1 से 9)	अनिर्णीत
12	पैरा–12	अनिर्णीत
13	पैरा–13	अनिर्णीत
14	पैरा–14	आंशिक निर्णीत
15	पैरा–15	आंशिक निर्णीत
16	पैरा–17	अनिर्णीत
17	पैरा–18	अनिर्णीत
18	पैरा–19 (क से घ)	अनिर्णीत
19	पैरा–20	अनिर्णीत
20	पैरा–21	अनिर्णीत
21	पैरा–22	अनिर्णीत
22	पैरा–23	अनिर्णीत
23	पैरा–24	अनिर्णीत
24	पैरा–28	अनिर्णीत
25	पैरा–29 (क तथा ख)	अनिर्णीत
26	पैरा–30	अनिर्णीत
27	पैरा–34 (क, ख एवं ग)	अनिर्णीत
28	पैरा–35 (1, 2 व 3)	अनिर्णीत
29	पैरा–35 (5, 6 व 7)	अनिर्णीत
30	पैरा–36 (1 से 3)	अनिर्णीत
31	पैरा–38 (1 से 4)	अनिर्णीत
32	पैरा–39	अनिर्णीत
33	पैरा–41	अनिर्णीत
34	पैरा–42	अनिर्णीत
35	पैरा–43	अनिर्णीत

(झ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/99 से 3/2000

1	पैरा–3 (ख) (10, 11 व 12)	अनिर्णीत
2	पैरा–3 (ग) (2)(1,2,3,6,7,9 व 12)	अनिर्णीत
3	पैरा–3 (ग) 2 (10)	आंशिक निर्णीत
4	पैरा–3 (घ) (1 से 3)	अनिर्णीत
5	पैरा–9	आंशिक निर्णीत
6	पैरा–10	अनिर्णीत
7	पैरा–11	अनिर्णीत
8	पैरा–13	अनिर्णीत
9	पैरा–14	अनिर्णीत
10	पैरा–15	अनिर्णीत
11	पैरा–16	अनिर्णीत
12	पैरा–17	अनिर्णीत
13	पैरा–18 (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा–19	अनिर्णीत
15	पैरा–20	अनिर्णीत
16	पैरा–22	अनिर्णीत
17	पैरा–23	अनिर्णीत
18	पैरा–24	अनिर्णीत
19	पैरा–26	अनिर्णीत
20	पैरा–28	अनिर्णीत
21	पैरा–29	अनिर्णीत
22	पैरा–31	अनिर्णीत
23	पैरा–32	अनिर्णीत
24	पैरा–34	अनिर्णीत
25	पैरा–35	अनिर्णीत
26	पैरा–37 (1, 2) एवं 37 (3) (1 से 6)	अनिर्णीत

27	पैरा—37 (3) (1 से 6)	अनिर्णीत
28	पैरा—38	अनिर्णीत
29	पैरा—40	अनिर्णीत
30	पैरा—41	अनिर्णीत
31	पैरा—42	अनिर्णीत
32	पैरा—43 (1 से 14)	अनिर्णीत
33	पैरा—44	अनिर्णीत

(ञ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/2000 से 3/2001

1	पैरा—5	अनिर्णीत
2	पैरा—7	अनिर्णीत
3	पैरा—8 (क तथा ख)	अनिर्णीत
4	पैरा—9	अनिर्णीत
5	पैरा—9 (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा—9 (ग)	आंशिक निर्णीत
7	पैरा—10	अनिर्णीत
8	पैरा—11 (क तथा ख)	अनिर्णीत
9	पैरा—12	अनिर्णीत
10	पैरा—14 (ख)	आंशिक निर्णीत
11	पैरा—15	अनिर्णीत
12	पैरा—16 (क से घ तथा ण)	अनिर्णीत
13	पैरा—17	अनिर्णीत
14	पैरा—18	आंशिक निर्णीत
15	पैरा—19	अनिर्णीत
16	पैरा—20	अनिर्णीत
17	पैरा—21	अनिर्णीत
18	पैरा—23	अनिर्णीत
19	पैरा—24	अनिर्णीत

20	पैरा—25	अनिर्णीत
21	पैरा—26	अनिर्णीत
22	पैरा—27	अनिर्णीत
23	पैरा—28	अनिर्णीत
24	पैरा—30	अनिर्णीत
25	पैरा—31	अनिर्णीत
26	पैरा—32	अनिर्णीत
27	पैरा—33	अनिर्णीत
28	पैरा—34	अनिर्णीत
29	पैरा—35	अनिर्णीत
30	पैरा—36 (क से घ एवं ण)	अनिर्णीत
31	पैरा—38	अनिर्णीत
32	पैरा—39	अनिर्णीत
33	पैरा—40	अनिर्णीत
34	पैरा—41	अनिर्णीत
35	पैरा—42	अनिर्णीत
36	पैरा—43	अनिर्णीत
37	पैरा—45	अनिर्णीत
38	पैरा—46 (क तथा ख)	अनिर्णीत

(ट) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/2001 से 3/2002

1	पैरा—5 (क, ख तथा ग)	अनिर्णीत
2	पैरा—6	निर्णीत (पत्र संख्या 147 दिनांक 15.6.2015 द्वारा)
3	पैरा—7	अनिर्णीत
4	पैरा—8	अनिर्णीत
5	पैरा—9	अनिर्णीत
6	पैरा—10	अनिर्णीत
7	पैरा—11	अनिर्णीत
8	पैरा—12	अनिर्णीत

9	पैरा—13	अनिर्णीत
10	पैरा—14	अनिर्णीत
11	पैरा—18	अनिर्णीत
12	पैरा—19	अनिर्णीत
13	पैरा—20	अनिर्णीत
14	पैरा—21	अनिर्णीत
15	पैरा—23	अनिर्णीत
16	पैरा—24	अनिर्णीत
17	पैरा—25	अनिर्णीत
18	पैरा—26	अनिर्णीत
19	पैरा—27	अनिर्णीत
20	पैरा—28	अनिर्णीत
21	पैरा—29	अनिर्णीत
22	पैरा—30	अनिर्णीत
23	पैरा—31	अनिर्णीत
24	पैरा—32	अनिर्णीत
25	पैरा—34	अनिर्णीत
26	पैरा—35	अनिर्णीत
27	पैरा—36	अनिर्णीत
28	पैरा—37	अनिर्णीत
29	पैरा—38	अनिर्णीत
30	पैरा—39	अनिर्णीत
31	पैरा—40 (ए तथा बी)	अनिर्णीत
32	पैरा—41	अनिर्णीत
33	पैरा—42	अनिर्णीत
34	पैरा—43	अनिर्णीत
35	पैरा—44	अनिर्णीत
36	पैरा—45	अनिर्णीत

(ठ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/2002 से 3/2003

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6	निर्णीत (पत्र संख्या 147 दिनांक 15.6.2015 द्वारा)
3	पैरा–7	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–9	अनिर्णीत
6	पैरा–10	अनिर्णीत
7	पैरा–11	अनिर्णीत
8	पैरा–12	अनिर्णीत
9	पैरा–13	अनिर्णीत
10	पैरा–14	अनिर्णीत
11	पैरा–15	अनिर्णीत
12	पैरा–16	अनिर्णीत
13	पैरा–17	अनिर्णीत
14	पैरा–18	अनिर्णीत
15	पैरा–19	अनिर्णीत
16	पैरा–20	अनिर्णीत
17	पैरा–21	अनिर्णीत
18	पैरा–22	अनिर्णीत
19	पैरा–23	अनिर्णीत
20	पैरा–24	अनिर्णीत
21	पैरा–25	अनिर्णीत
22	पैरा–26	अनिर्णीत
23	पैरा–27	अनिर्णीत
24	पैरा–28	अनिर्णीत
25	पैरा–29	अनिर्णीत
26	पैरा–30	अनिर्णीत

27	पैरा—31	अनिर्णीत	
28	पैरा—32	अनिर्णीत	
29	पैरा—33	अनिर्णीत	
30	पैरा—34	अनिर्णीत	
31	पैरा—35	अनिर्णीत	
32	पैरा—36	अनिर्णीत	
33	पैरा—37	अनिर्णीत	
34	पैरा—38	अनिर्णीत	
35	पैरा—39	अनिर्णीत	

(ड) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2003 से 3/2004

1	पैरा—5	अनिर्णीत	
2	पैरा—6	निर्णीत	(पत्र संख्या 147 दिनांक 15.6.2015 द्वारा)
3	पैरा—7	अनिर्णीत	
4	पैरा—8	अनिर्णीत	
5	पैरा—9	अनिर्णीत	
6	पैरा—10	अनिर्णीत	
7	पैरा—11	अनिर्णीत	
8	पैरा—12	अनिर्णीत	
9	पैरा—13	अनिर्णीत	
10	पैरा—14	अनिर्णीत	
11	पैरा—15	अनिर्णीत	
12	पैरा—17	अनिर्णीत	
13	पैरा—18	अनिर्णीत	
14	पैरा—19	अनिर्णीत	
15	पैरा—20	अनिर्णीत	
16	पैरा—21	अनिर्णीत	
17	पैरा—22	अनिर्णीत	
18	पैरा—23	अनिर्णीत	

19	पैरा—24	अनिर्णीत
20	पैरा—25	अनिर्णीत
21	पैरा—27	अनिर्णीत
22	पैरा—29	अनिर्णीत
23	पैरा—30	अनिर्णीत
24	पैरा—31	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा—4	अनिर्णीत
2	पैरा—5	अनिर्णीत
3	पैरा—6	निर्णीत (पत्र संख्या 147 दिनांक 15.6.2015 द्वारा)
4	पैरा—7	अनिर्णीत
5	पैरा—8	अनिर्णीत
6	पैरा—9	अनिर्णीत
7	पैरा—10	अनिर्णीत
8	पैरा—11	अनिर्णीत
9	पैरा—12	अनिर्णीत
10	पैरा—13	अनिर्णीत
11	पैरा—14	अनिर्णीत
12	पैरा—15	अनिर्णीत
13	पैरा—17	अनिर्णीत
14	पैरा—19	अनिर्णीत
15	पैरा—20	अनिर्णीत
16	पैरा—22	अनिर्णीत
17	पैरा—23	अनिर्णीत
18	पैरा—24	अनिर्णीत
19	पैरा—25	अनिर्णीत
20	पैरा—26	अनिर्णीत

21	पैरा—27	अनिर्णीत	
22	पैरा—28	अनिर्णीत	
23	पैरा—29	अनिर्णीत	
24	पैरा—32	अनिर्णीत	
25	पैरा—33	अनिर्णीत	
26	पैरा—34	अनिर्णीत	
27	पैरा—35	अनिर्णीत	
28	पैरा—36	अनिर्णीत	
29	पैरा—37	अनिर्णीत	

(ण) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा—4	अनिर्णीत	
2	पैरा—5	अनिर्णीत	
3	पैरा—6	निर्णीत	(पत्र संख्या 147 दिनांक 15.6.2015 द्वारा)
4	पैरा—7	अनिर्णीत	
5	पैरा—8	अनिर्णीत	
6	पैरा—9	अनिर्णीत	
7	पैरा—10	अनिर्णीत	
8	पैरा—11	अनिर्णीत	
9	पैरा—13	अनिर्णीत	
10	पैरा—14	अनिर्णीत	
11	पैरा—16	अनिर्णीत	
12	पैरा—18	अनिर्णीत	
13	पैरा—21	अनिर्णीत	
14	पैरा—24	अनिर्णीत	
15	पैरा—25	अनिर्णीत	
16	पैरा—26	अनिर्णीत	
17	पैरा—27	अनिर्णीत	

18	पैरा—28	अनिर्णीत	
19	पैरा—29	अनिर्णीत	
20	पैरा—31	अनिर्णीत	
21	पैरा—32	अनिर्णीत	
22	पैरा—33	अनिर्णीत	
23	पैरा—35	अनिर्णीत	
24	पैरा—36	अनिर्णीत	
25	पैरा—37	अनिर्णीत	
26	पैरा—38	अनिर्णीत	
27	पैरा—39	अनिर्णीत	
28	पैरा—40	अनिर्णीत	

(त) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा—2	अनिर्णीत	
2	पैरा—3	अनिर्णीत	
3	पैरा—4	अनिर्णीत	
4	पैरा—5	अनिर्णीत	
5	पैरा—6	निर्णीत	(पत्र संख्या 147 दिनांक 15.6.2015 द्वारा)
6	पैरा—7	अनिर्णीत	
7	पैरा—8	अनिर्णीत	
8	पैरा—9	अनिर्णीत	
9	पैरा—10	अनिर्णीत	
10	पैरा—11	अनिर्णीत	
11	पैरा—12	अनिर्णीत	
12	पैरा—13	अनिर्णीत	
13	पैरा—14	अनिर्णीत	
14	पैरा—15	अनिर्णीत	
15	पैरा—17	अनिर्णीत	
16	पैरा—18	अनिर्णीत	

17	पैरा—19	अनिर्णीत	
18	पैरा—20	अनिर्णीत	
19	पैरा—21	अनिर्णीत	
20	पैरा—22	अनिर्णीत	
21	पैरा—24	अनिर्णीत	
22	पैरा—25	अनिर्णीत	
23	पैरा—26	अनिर्णीत	
24	पैरा—27	अनिर्णीत	
25	पैरा—28	अनिर्णीत	
26	पैरा—29	अनिर्णीत	
27	पैरा—30	अनिर्णीत	

(थ) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा—6	निर्णीत	(पत्र संख्या 147 दिनांक 15.6.2015 द्वारा)
2	पैरा—7	अनिर्णीत	
3	पैरा—8	अनिर्णीत	
4	पैरा—9	अनिर्णीत	
5	पैरा—10	अनिर्णीत	
6	पैरा—11	अनिर्णीत	
7	पैरा—12	अनिर्णीत	
8	पैरा—13	अनिर्णीत	
9	पैरा—14	अनिर्णीत	
10	पैरा—15	अनिर्णीत	
11	पैरा—16	अनिर्णीत	
12	पैरा—17	अनिर्णीत	
13	पैरा—19	अनिर्णीत	
14	पैरा—21	अनिर्णीत	

(द) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा—6	निर्णीत	(पत्र संख्या 191 दिनांक 6.8.2015 द्वारा)
2	पैरा—7	अनिर्णीत	
3	पैरा—8	अनिर्णीत	
4	पैरा—9	अनिर्णीत	
5	पैरा—10	अनिर्णीत	
6	पैरा—11	अनिर्णीत	
7	पैरा—12	अनिर्णीत	
8	पैरा—13	अनिर्णीत	
9	पैरा—14	अनिर्णीत	
10	पैरा—15	अनिर्णीत	
11	पैरा—16	अनिर्णीत	
12	पैरा—17	अनिर्णीत	
13	पैरा—19	अनिर्णीत	
14	पैरा—21	अनिर्णीत	

(ध) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा—6	निर्णीत	(पत्र संख्या 191 दिनांक 6.8.2015 द्वारा)
2	पैरा—7	अनिर्णीत	
3	पैरा—8	अनिर्णीत	
4	पैरा—9	अनिर्णीत	
5	पैरा—11	अनिर्णीत	
6	पैरा—12	अनिर्णीत	
7	पैरा—13	अनिर्णीत	
8	पैरा—14	अनिर्णीत	
9	पैरा—15	अनिर्णीत	

10	पैरा—16	अनिर्णीत	
11	पैरा—17	अनिर्णीत	
12	पैरा—18	अनिर्णीत	
13	पैरा—19	अनिर्णीत	
14	पैरा—20	अनिर्णीत	
15	पैरा—21	अनिर्णीत	

(न) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा—6	निर्णीत	(पत्र संख्या 191 दिनांक 6.8.2015 द्वारा)
2	पैरा—7	अनिर्णीत	
3	पैरा—8	अनिर्णीत	
4	पैरा—9	अनिर्णीत	
5	पैरा—10	अनिर्णीत	
6	पैरा—11	अनिर्णीत	
7	पैरा—12	अनिर्णीत	
8	पैरा—13	अनिर्णीत	
9	पैरा—14	अनिर्णीत	
10	पैरा—16 (I से VII)	अनिर्णीत	
11	पैरा—17	अनिर्णीत	
12	पैरा—18	अनिर्णीत	
13	पैरा—19	अनिर्णीत	
14	पैरा—20	अनिर्णीत	
15	पैरा—21	अनिर्णीत	
16	पैरा—22	अनिर्णीत	
17	पैरा—23	अनिर्णीत	

(प) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा—6	निर्णीत	(पत्र संख्या 191 दिनांक 6.8.2015 द्वारा)
2	पैरा—7	अनिर्णीत	
3	पैरा—8	अनिर्णीत	

4	पैरा–9	अनिर्णीत	
5	पैरा–10	अनिर्णीत	
6	पैरा–11	अनिर्णीत	
7	पैरा–12	अनिर्णीत	
8	पैरा–13	अनिर्णीत	
9	पैरा–14	अनिर्णीत	
10	पैरा–15	अनिर्णीत	
11	पैरा–17	निर्णीत	(पत्र संख्या 236 दिनांक 4.12.2014 द्वारा)
12	पैरा–18	अनिर्णीत	
13	पैरा–19	अनिर्णीत	
14	पैरा–20	अनिर्णीत	
15	पैरा–21 (क, ख तथा ग)	अनिर्णीत	
16	पैरा–22 (i, ii)	अनिर्णीत	
17	पैरा–23	अनिर्णीत	
18	पैरा–24	अनिर्णीत	
19	पैरा–25	अनिर्णीत	
20	पैरा–26	अनिर्णीत	

(फ) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2012 से 3/2013

1	पैरा–6	निर्णीत	(पत्र संख्या 191 दिनांक 6.8.2015 द्वारा)
2	पैरा–7	अनिर्णीत	
3	पैरा–8	अनिर्णीत	
4	पैरा–9	अनिर्णीत	
5	पैरा–10	अनिर्णीत	
6	पैरा–11	अनिर्णीत	
7	पैरा–12	अनिर्णीत	
8	पैरा–13	अनिर्णीत	
9	पैरा–14 (i, ii)	अनिर्णीत	
10	पैरा–15	अनिर्णीत	

11	पैरा–16	अनिर्णीत	
12	पैरा–17	निर्णीत	(पत्र संख्या 191 दिनांक 6.8.2015 द्वारा)
13	पैरा–18	अनिर्णीत	
14	पैरा–19	अनिर्णीत	
15	पैरा–20	निर्णीत	(पत्र संख्या 127 दिनांक 3.4.2014 द्वारा)
16	पैरा–21	अनिर्णीत	
17	पैरा–22 (क, ख, ग, घ तथा ङ)	अनिर्णीत	
18	पैरा–23	अनिर्णीत	
19	पैरा–24	अनिर्णीत	
20	पैरा–25	निर्णीत	(पत्र संख्या 147 दिनांक 15.6.2015 द्वारा)
21	पैरा–26	अनिर्णीत	
22	पैरा–27	अनिर्णीत	
23	पैरा–28	आंशिक रूप से निर्णीत	(पत्र संख्या 147 दिनांक 15.6.15 द्वारा)
24	पैरा–29	निर्णीत	(पत्र संख्या 127 दिनांक 4.12.2014 द्वारा)
25	पैरा–30	अनिर्णीत	
26	पैरा–31	अनिर्णीत	
27	पैरा–32	अनिर्णीत	
	(ब) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2013 से 3/2014		
1	पैरा–6	निर्णीत	(पत्र संख्या 191 दिनांक 6.8.2015 द्वारा)
2	पैरा–7	अनिर्णीत	
3	पैरा–8	अनिर्णीत	
4	पैरा–9	अनिर्णीत	
5	पैरा–10	अनिर्णीत	
6	पैरा–11	अनिर्णीत	
7	पैरा–12	अनिर्णीत	
8	पैरा–13	अनिर्णीत	

9	पैरा–14	अनिर्णीत	
10	पैरा–15	अनिर्णीत	
11	पैरा–16	अनिर्णीत	
12	पैरा–17	अनिर्णीत	
13	पैरा–18	अनिर्णीत	
14	पैरा–19	अनिर्णीत	
15	पैरा–20	अनिर्णीत	
16	पैरा–21 (क, ख, ग, घ तथा ङ)	अनिर्णीत	
17	पैरा–22	अनिर्णीत	
18	पैरा–23	निर्णीत	(पत्र संख्या 410 दिनांक 14.5.2015 द्वारा)
19	पैरा–24	अनिर्णीत	
20	पैरा–25	अनिर्णीत	
21	पैरा–26	अनिर्णीत	
22	पैरा–27	अनिर्णीत	
23	पैरा–28	अनिर्णीत	
24	पैरा–29	अनिर्णीत	
25	पैरा–30	अनिर्णीत	
26	पैरा–31	अनिर्णीत	
27	पैरा–32	निर्णीत	(रसीद संख्या 0810781 दिनांक 26.10.2015 द्वारा ₹524 की वसूली की गई)
28	पैरा–33	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	505
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान लगाए गए पैरे	20
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्णीत किए गए गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरे	19
अन्तशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2015 तक	506

(B) अनिर्णीत अंकेक्षण अधियाचनाऐं:–

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2015

क्र0सं0	अंकेक्षण अधियाचनाएं	दिनांक	टिप्पणी
1	91	27.5.2014	अनिर्णीत
2	133	7.7.2014	अनिर्णीत
3	140	28.7.2014	अनिर्णीत
4	151	5.8.2014	अनिर्णीत
5	172	2.9.2014	अनिर्णीत
6	174	8.9.2014	अनिर्णीत
7	185	22.9.2014	अनिर्णीत
8	208	29.10.2014	अनिर्णीत
9	226	21.11.2014	अनिर्णीत
10	246	10.12.2014	अनिर्णीत
11	249	16.12.2014	अनिर्णीत
12	250	22.12.2014	अनिर्णीत
13	38	5.2.2015	अनिर्णीत
14	60	9.3.2015	अनिर्णीत
15	61	9.3.2015	अनिर्णीत
16	64	12.3.2015	अनिर्णीत
17	73	30.3.2015	अनिर्णीत
18	80	31.3.2015	अनिर्णीत

नोट:– अतः उपरोक्त सभी लम्बित अंकेक्षण अधियाचनाओं का निपटारा सुनिश्चित करने के साथ–साथ वर्ष 2000–2001 से वर्ष 2013–14 तक की सभी लम्बित अंकेक्षण अधियाचनाओं का निपटारा भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।